राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

सत्यमेव जयते

—: तार्किक आदेश :—

वाद संख्या— 60—88 / 2022..... पटना, दिनांक—.....

माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद—C.W.J.C.No- 12726/2022 आकाश कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायनिर्णय का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :—

"(a) Petitioners shall appproach the authority concerned within a period of four weeks from today by filing a representation for redressal of the grievance(s);

(b) The authority concerned shall consider and dispose it of expeditiously by a reasoned and speaking order preferably within a period of four months from the date of its filing along with a copy of the order,

(c) The order assigning reasons shall be communicated to the petitioner;

(d) Needless to add while considering such representation, principles of natural justice shall be followed and due opportunity of hearing afforded to the parties;

(e) Also, opportunity to place on record all relevant materials/documents shall be granted to the parties;

(f) Eqally, liberty is reserved to the petitioners to take recourse to such alternative remedies as are otherwise available in accordance with law;

(g) We are hopeful that as and when pertitioners take recourse to such remedies, as are otherwise available in law, before the appropriate forum, the same shall be dealt with, in accordance with law and with reasonable dispatch;

(h) Liberty reserved to the petitioners to approach the Court, if the need so arised subsequently on the same and subsequent cause of action;

(i) We have not expressed any opinion on merits, all issues are left open; "

2. उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये उक्त निर्णय के आलोक में आयोग में दिये गये representation दिनांक—20.09.2022 को दी गयी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश की प्रति संलग्न की गयी थी।

3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में representation दायर करनेवाले सभी पक्षकारों को अपना पक्ष आयोग के समक्ष रखने हेतु आमंत्रित किया गया। उपस्थित सभी पक्षकारों एवं उनके विद्वान अधिवक्ताओं (श्री सुबोध कुमार, श्री श्रवण किरण सिंह एवं श्री मुकेश रंजन) द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि मामले के सम्पूर्ण एवं विस्तृत सुनवाई हेतु यदि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित समय—सीमा से अधिक समय लगता है, तो भी उन्हें आपत्ति नहीं है। इस क्रम में दिनांक— 20.0.2022, 08.11.2022, 25.11.2022, 10.01.2023, 24.01.2023, 16.03.2023, 22.06.2023, 28.07.2023, 26.10.2023, 23.11.2023, 19.12.2023 तथा 15.01.2024 को विस्तृत एवं सार्थक सुनवाई की गयी, जिसमें वादियों को नैसर्गिक न्याय के तहत अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया।

4. वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुबोध कुमार द्वारा यह पक्ष रखा गया कि जमालीचक मुहल्ला जो पूर्व में वार्ड सं0—47 में था। उस वार्ड सं0—48 में जोड़ दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह उल्लेख किया गया कि प्रारूप प्रकाशन के समय जमालीचक मुहल्ला वार्ड सं0—47 के अन्तर्गत था, केवल चौहद्दी में अनियमितता होने के कारण इसके सुधार हेतु representation दिनांक—13.05.2022 को दिया गया।

लेकिन वार्ड परिसीमन के अंतिम प्रकाशन में जमालीचक मुहल्ला को वार्ड सं0–47 के जगह वार्ड सं0–48 में सलग्न किया गया है, जो वार्ड सं0–47 से 03 (तीन) किलोमीटर दूरी पर है, जबकि वार्ड सं0–48 से संलग्न रहता तो मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर रहता। इसी प्रकार के पक्ष अन्य दोनों विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा भी रखा गया है।

5. जिला प्रशासन की तरफ से पत्रांक–43/सा0 दिनांक–05.01.2023 द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसका प्रभावकारी अंश निम्नवत् है–

" C.W.J.C. No-12726/2022 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दिनांक–02.09.2022 को पारित आदेश के आलोक में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हतु संसूचित किया गया है।

उक्त के आलोक में स्पष्ट करना है कि राज्य निर्वाचन आयोग के मानक के अनुरूप आबादी अनुपालन के क्रम में राजस्व ग्राम मघड़ा को वार्ड सं0–47 एवं वार्ड सं0–48 में शामिल किया गया। प्रकाशित प्रारूप प्रकाशन में जमालीचक ग्राम को वार्ड सं0–48 में दिखाया गया था। जिस पर दावा/आपत्ति के क्रम में नगीना पासवान, बिजेन्द्र पासवान, हरिकेष चन्द्र एवं अन्य के द्वारा आपत्ति दायर किया गया था।

जाँच के क्रम में तत्कालीन मघड़ा पंचायत के वार्ड सं0–10 एवं 11 के जनता का कहना था कि इस क्षेत्र में एक ही वार्ड के लोगों का अलग–अलग बाटना सही नहीं है तथा दोनों वार्डों के जनता को नगर निगम के वार्ड सं0–47 एवं 48 में किया जाना सही नहीं है। चूँकि ये लोग अनुसूचित जाति से आते है तथा यह क्षेत्र पूर्णरूपेण मघड़ा गॉव में है।

सम्पूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अंततः मघड़ा की जनसंख्या अधिक होने के कारण साथ ही मघड़ा से जमालीचक भौगोलिक रूप से अलग रहने के कारण एवं एक दूसरे को पैन एवं खेतीहर जमीन से विभाजित होने के कारण समग्र दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि जमालीचक को नगर वार्ड सं0–47 में रखा जाय। साथ ही अगर जमालीचक (जनसंख्या–977) को नगर निगम बिहारशरीफ को वार्ड सं0–48 से जोड़ा जाता है तो एक तरफ वार्ड सं0–48 की जनसंख्या–8134 हो जाएगी वही वार्ड सं0–47 की जनसंख्या घटकर 5007 हो जाएगी। जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित मापदण्ड (5624–7624) के अनुरूप नहीं होगा। इस प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश का अनुपालन किया गया। जो व्यवहारिक रूप से उचित प्रतीत होता है।"

6. आयोग द्वारा जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नालन्दा के उक्त प्रतिवेदन के स्थलीय जाँच से सम्पुष्टि कराने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत यह आदेश दिया गया कि वादी द्वारा प्रस्तावित मार्ग परिसीमा से दूरी की जाँच कर उपलब्ध कराया जाए। स्थल जाँच के समय परिवादी की उपस्थिति में संपूर्ण प्रक्रिया के विडियोग्राफी का भी आदेश दिया गया। इस आदेश के आलोक में उप विकास आयुक्त, नालन्दा द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण एवं जाँच किया गया, जिसमें परिवादी श्री आकाश कुमार उपस्थित रहे तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया की विडियोग्राफी भी की गयी। सम्पूर्ण प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक–2484/सा0 दिनांक–12.11.2023 द्वारा उपलब्ध कराया गया। जिसका प्रभाकारी अंश निम्नवत् है–

"राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पारित आदेश कि वादी के दावें के अनुरूप निर्धारित भू–चिन्हों एवं जिला प्रशासन के दावें के अनुरूप निर्धारित भू–चिन्हों की विडियोग्राफी, तथ्यात्मक एवं तार्किक जाँच हेतु अधोहस्तक्षरी कार्यालय पत्रांक–1288/गो0 दिनांक–10.11.2023 से जाँच समिति गठित की गई। जाँच समिति एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक–17.11.2023 को वादी श्री आकाश कुमार की उपस्थिति में विडियोग्राफी के साथ जाँच की गई। जाँच के क्रम में निम्न तथ्य परिलक्षित हुये–

I. जमालीचक ग्राम का अंतिम छोर, देवी स्थान से मघड़ा गॉव, वार्ड सं0–48, के पहली छोर की दूरी 1687 फीट है।
II. जमालीचक ग्राम 00 माईलस्टोन से वार्ड सं0–47 के पहली छोर की दूरी बिहारशरीफ–एकंगरसराय सड़क के समीप 1360 फीट है।
III. सभी उक्त स्थलों की दूरी अंकित करते हुये वार्ड सं0–47 एवं 48 के सीमांकन के साथ Google Earth map संलग्न।

IV. निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ द्वारा कार्यालय पत्रांक–75/निर्वा, दिनांक–17.03.2023 से भी विषयगत मामले में पूर्व में प्रतिवेदित किया गया है कि यदि जमालीचक ग्राम की जनसंख्या 977 को मघड़ा में मिलया जाता तो वार्ड सं0–48 की जनसंख्या 8134 हो जाती, वही वार्ड सं0–47 की जनसंख्या घटकर 5007 हो रही थी, जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित मापदंड (5624–7624) के अनुरूप नहीं होता।

V. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वार्ड गठन में निर्धारित मापदंड (5624–7624) को मानक बनाया गया था। वार्ड 48 की आबादी 7157 थी, अगर जमालीचक ग्राम की आबादी 977 को जोड़ा जाता है तो कुल आबादी 8134 हो जाती है, जो की निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं होता है। वही वार्ड सं0–47 के गठन में जमालीचक ग्राम को जोड़े बिना आबादी मात्र 5007 हो रही थी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वार्ड गठन में मापदंड को पूरा करने के लिए सबसे नजदीक के ग्राम, जमालीचक ग्राम के 977 आबादी को जोड़कर कुल जनसंख्या–5984 है, जिससे राज्य निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानकों के अनुसार वार्ड सं0–47 का गठन हो सका।"

7. परिवादियों द्वारा जिला प्रशासन के उक्त प्रतिवेदन पर पुनः आपत्ति व्यक्त की गयी तथा यह दावा किया गया कि दूरी की मापी उनके बताये गये स्थलों से नहीं की गयी है। अतः आयोग द्वारा पुनः प्राधिकृत पदाधिकारी को यह आदेश दिया गया कि परिवादी के प्रस्ताव/आपत्ति के बिन्दुओं का तुलनात्मक एवं तार्किक प्रति उत्तर एवं नजरी नक्शा उपलब्ध कराया जाये।

आयोग के उक्त आदेश के आलोक में उप विकास आयुक्त, नालन्दा द्वारा तुलनात्मक विवरण एवं नजरी नक्शा सुनवाई के क्रम में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन का प्रभावकारी अंश निम्नवत् है–

"परिवादी के द्वारा प्रस्तावित मार्ग एवं वार्ड की परिसीमा से दूरी की जाँच की गयी, जिसमें निम्नवत् स्थिति पायी गयी –

क्र0 सं0	परिवादी के प्रस्ताव	परिवादी का कथन	प्रशासन का पक्ष
1.	परिवादी के द्वारा वार्ड सं0–48 मघड़ा की दूरी जमालीचक से केवल दूर्गा स्थान से जोरापुर मोड़ तक 140 फीट है।	परिवादी के कथन है कि ग्राम जमालीचक ग्राम मघड़ा से नजदीक है। ऐसी स्थिति में जमालीचक को ग्राम साठोपुर (वार्ड सं0–47) में शामिल किया जाना अनुचित है।	1. परिवादी के द्वारा वर्णित दूरी की माप किसी निर्धारित स्थल से नहीं किया गया। जबकि किसी भी नापी हेतु एक Reference point होना आवश्यक है। परिवादी के द्वारा अलग–अलग बिन्दुओं से दूरी की माप का प्रस्ताव दिया गया है। 2. ग्राम जमालीचक से मघड़ा ग्राम भौगोलिक रूप से पूर्णतः अलग है। 3. पुराने परिसीमन में ग्राम मघड़ा का एक ही वार्ड को बांटा गया था। परिवादी के द्वारा अलग–अलग बिन्दुओं से दूरी की माप का प्रस्ताव दिया गया है। जो नियमानुकूल स्वीकार योग्य नहीं है।
2	वार्ड सं0–47 साठोपुर का जमालीचक से दूरी सघन आबादी से जीरो माईल स्टोन जमालीचक होते हुए वार्ड सं0–47 के प्रथम छोर होते हुए आगे गुफापर तक 3565 फीट है।		

8. **आयोग द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदनों, विडियोग्राफी, वादी के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों तथा तथ्यों का गहन परीक्षण एवं विश्लेषण किया गया, तो यह पाया गया कि प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा वार्ड गठन एवं इसके परिसीमन में आयोग के द्वारा निर्धारित माप–दण्ड का अनुपालन समुचित प्रकार से नहीं किया गया है। आयोग का स्पष्ट निदेश था कि वार्ड गठन/परिसीमन इस प्रकार किया जाये कि एक ही वार्ड के क्षेत्रों में असंगतता (Discontinuty) न रहे, परन्तु विचाराधीन मामले में इस नियम/निर्देश का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जबकि प्रारूप प्रकाशन के समय क्षेत्र की संगतता एवं जनसंख्या परास दोनों माप–दण्डों पर विचाराधीन वार्ड का गठन सही था।**

उल्लेखनीय है कि वार्ड गठन/परिसीमन विरूद्ध प्राप्त आपत्ति के निष्पादन में इस तथ्य का ध्यान रखना आवश्यक है कि आपत्ति के निष्पादन के क्रम में क्षेत्र में इस प्रकार परिवर्तन किया जाये कि दूसरे वार्ड के गठन/परिसीमन पर इस प्रकार को कोई प्रभाव न पड़े, जो कि नियम/निदेश के विरूद्ध हो।

सुनवाई के क्रम में जिला प्रशासन की तरफ से उपस्थित तथा जिला के तरफ से प्राधिकृत किये गये सभी जाँच पदाधिकारियों द्वारा परिसीमन का कार्य करने वाले प्राधिकृत पदाधिकारी के पक्ष में प्रतिवेदन देने हेतु उक्त मूलभूत तथ्यों को महत्व देने के बजाए जनसंख्या परास को महत्व दिया गया है। जनसंख्या परास भी एक महत्वपूर्ण घटक है, परन्तु प्राथमिक घटक भौगोलिक स्थिति है। इसके उपरान्त जनसंख्या परास का स्थान आता है।

आयोग द्वारा तीन प्रमुख कारणों से जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, नालन्दा का प्रतिवेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया–

(1) जमालीचक मुहल्ला भौगोलिक एवं बसावट दोनों ही प्रकार से वार्ड सं0–47 के संनिकट एवं संगतता में स्थित है।

(2) यदि भौगोलिक संगतता को बनाये रखने हेतु जनसंख्या परास में कोई विसंगती होती है, तो समुचित कारण के साथ आयोग से अनुमति के उपरान्त ऐसा किये जाने का प्रावधान आयोग के दिशा निर्देश में उपलब्ध रहने के बावजूद उक्त प्रावधान का उपयोग प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया।

(3) प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रारूप प्रकाशन के उपरान्त कुछ एक व्यक्तियों के आपत्ति के निराकरण में 800 से 900 की आबादी वाले गाँव/मुहल्ला के निवासियों, जो कि उस निर्णय से प्रभावित होने वाले थे, को सूचित किये बिना दावा/आपत्ति का निष्पादन कर दिया तथा परिवर्तित वार्ड गठन/परिसीमन पर अंतिम अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया जो कि आयोग के आदेश का उल्लंघन एवं नैसर्गिक न्याय के नियम के विरूद्ध भी है। साथ ही साथ यह प्राधिकृत पदाधिकारी के गलत मंशा से किये गये कार्य का परिचायक भी है।

आयोग द्वारा उक्त त्रुटि सुधार के संवैधानिक/वैधानिक उपायों पर विचार किया गया, तो यह तथ्य प्रकट हुआ कि संवैधानिक/वैधानिक प्रावधानों के अधीन नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथासंशोधित) के प्रावधानों (धारा–3(1)(क), धारा–4, धारा–5, धारा–6 एवं धारा–8) के प्रभावकारिता की समय–सीमा क्या है?

इस प्रश्न का उत्तर उक्त अधिनियम के धारा–13 एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम–29(1) में अन्तर्निहित है। ज्योही उक्त वैधानिक प्रावधानों के अधीन परिसीमन/वार्ड गठन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, त्योही नगरपालिका के गठन संबंधी प्रावधानों की समय–सीमा समाप्त हो जाती है।

ठीक इसी प्रकार उक्त अधिनियम के धारा–13 एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम–29(1) के प्रभाव की समय–सीमा नवगठित/पुनर्गठित/विस्तारित नगर निकाय में आरक्षण रोस्टर के अनुमोदन, मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के उपरान्त उक्त अधिनियम के धारा–441 के तहत निर्वाचन की अधिसूचना प्रकाशित होने के साथ ही समाप्त हो जाती है।

उक्त विवेचणा से स्पष्ट है कि यद्यपि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007(यथा संशोधित) तथा बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 (यथा संशोधित) के प्रावधानों में समय–सीमा अंकित नहीं हो तथापि क्रमानुक्रम में वैधानिक कार्यों के होने के कारण पश्चवर्ती वैधानिक कार्य का प्रारंभ पूर्ववर्ती वैधानिक कार्य की समाप्ति का वैधानिक समय–सीमा होता है।

विचाराधीन मामले में जबकि नगर निगम–बिहारशरीफ में निर्वाचन का कार्य वर्ष 2022 समाप्त होने के साथ ही नये बोर्ड का गठन हो चुका है, ऐसी स्थिति में नगर निगम–बिहारशरीफ के सीमा में परिवर्तन पुनः राज्य सरकार द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथासंशोधित) के प्रावधानों (धारा–3(1)(क), धारा–4, धारा–5, धारा–6 एवं धारा–8 के अधीन क्षेत्रविस्तार के उपरान्त ही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में तत्समय ही त्रुटि का निराकरण वैधानिक रूप से संभव है।

अतएव जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, नालन्दा को आदेश दिया जाता है कि भविष्य में होने वाले क्षेत्रविस्तार के उपरान्त होने वाले वार्ड गठन एवं परिसीमन के दौरान नियमानुसार उक्त त्रुटियों के निराकरण हेतु वैधानिक प्रावधानों के अधीन ही वार्ड गठन/परिसीमन की प्रक्रिया सम्पन्न कराई जाए।

आयोग द्वारा यह पाया गया कि नगर निगम–बिहारशरीफ, नालन्दा के तत्कालीन प्राधिकृत पदाधिकारी (जिनके द्वारा नगर निगम–बिहारशरीफ के वार्ड गठन/परिसीमन का कार्य किया गया है) द्वारा वार्ड सं0–47 के गठन/परिसीमन में आयोग के दिशा–निर्देशों एवं नियमों का उल्लंघन किया गया है। अतः जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, नालन्दा को यह आदेश दिया जाता है कि तत्कालीन प्राधिकृत पदाधिकारी के विरूद्ध गलत परिसीमन/वार्ड गठन के प्रमाणित आरोप में विभागीय कार्रवाई हेतु प्रपत्र–'क' गठित कर इनके पैतृक विभाग को प्रेषित कर दिया जाए तथा इसकी प्रति आयोग को भी उपलब्ध करा दी जाए।

प्राधिकृत पदाधिकारी के पक्ष में मूल नियम के विरूद्ध प्रतिवेदन तैयार करने वाले पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए नाम, पदनाम एवं पदस्थापन का विवरण उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ चिन्हित पदाधिकारियों से उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए मंतव्य सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए ताकि अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उक्त आदेश के साथ ही मामलों को निष्पादित किया जाता है।
सभी संबंधित को सूचित किया जाए।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ0 दीपक प्रसाद)
04.06.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार, पटना।

ह0/–
(डॉ0 दीपक प्रसाद)
04.06.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 60–88/2022.2542 पटना, दिनांक 4.6.25 /–

प्रतिलिपि :– जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ प्रेषित।

04/6/25
विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।